

प्रेस-विज्ञापिथाना-फूलपुरसवा किलो अवैध गाँजा के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रा0) जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर व प्र0नि0 निरीक्षक फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03/04/2021 को उ0नि0 कमला शंकर गिरी मय राह हे0का0 कृष्ण मुरारी सिंह , हे0का0 बच्चेलाल यादव , का0 ददन कुमार का0 अंकित कुमार मिश्र द्वारा देखभाल क्षेत्र व रात्रि गस्त / ड्यूटी चोकिंग संग्रिध व्यक्ति / वाहन में जगदीशपुर पुर पुलिया पर मौजूद थे कि मुखविर खास आकर मिला और बताया कि साहब एक व्यक्ति अवैध गाजा का व्यापार करता है और काफी मात्रा में अवैध गाजा लेकर रेलवे स्टेशन खुरासन ( फूलपुर ) स्टेशन परिसर में एक पेड़ के निचे बैठा है जो कही जाने के फिराक में है यदी जल्दी किया जाय तो उसे पकडा जा सकता है मुखविर खास कि बातों पर विश्वास करके राही कर्म0 को सूचना से अवगत करते हुए आपस में एक दुसरे कि जामा तालासी लेते हुए विश्वास किया की किसान के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है मय राही कर्म0 व मुखवीर खास के साथ लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुचा कि मुखवीर खास इसारा करके हट-बढ़ गया पुलिस वालों को देखकर वह व्यक्ति एक प्लास्टिक बोरी लपेटे हुए लेकर खडा हुआ और तेज कदमों से प्लेट फार्म कि तरफ जाने लगा तथा रोकने व टोकने पर भागना चाहा कि परिसर के अन्दर ही पकड लिया गया नाम पता पुछने पर अपना नाम आकाश मिश्रा पुत्रस्व0 संतोष मिश्रा R/O पकरौल थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया अवैध गाजा रखने का अधिकार पत्र मागा गया तो दिखाने से कासिर रहा कारण गिरफ्तारी बताते हुये पकडे गये व्यक्ति को समय 23.10 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पूछताछ में अपने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया सा हब गाँजा बेंचकर कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है।

सम्बन्धित मुकदमा -मु0अ0सं0 47/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष मिश्रा R/O पकरौल थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी-

1- 01 किग्रा 250 ग्राम अवैध गाँजा

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1- उ0नि0 कमला शंकर गिरी , हे0का0 कृष्ण मुरारी सिंह , थाना-फूलपुर, आजमगढ़।

2- हे0का0 बच्चेलाल यादव , का0 ददन कुमार , का0 अंकित कुमार मिश्र थाना-फूलपुर, आजमगढ़।

थाना सरायमीरगैरेस्टर एक्ट के 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक , आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोर, लूटेरे, वाँछित अपराधी व गोवध से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक , ग्रामीण आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 03.04.2021 को थाना स्थानीय पर दिनांक 01.03.2021 को पंजीकृत मु0अ0सं0 0044/2021 धारा 3(1) यूपी गैरेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण 1. मो0 आदिल पुत्र रियाज अद सा0 मो0 चककाजी दक्षिण मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2. इम्तियाज पुत्र झिन्नू सा0 पठान टोला कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 06.35 बजे उनके घरों से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मो0 आदिल पुत्र रियाज अद सा0 मो0 चककाजी दक्षिण मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2. इम्तियाज पुत्र झिन्नू सा0 पठान टोला कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. अभि0 मो0 आदिल पुत्र रियाज अद सा0 मो0 चककाजी थाना सरायमीर आजमगढ़।

1. मु0 अ0 सं0 193/19 धारा 379 भादवि 3/5/8 गोबध नि0 अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 199/20 धारा 307/120बी भादवि व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 0044/2021 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

**2. अभि0 इम्तियाज पुत्र झिन्नू सा0 पठान टोला करबा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।**

1.मु0 अ0 सं0 193/19 धारा 379 भादवि 3/5/8 गोबध नि0 अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 0044/2021 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तारकर्ता:-**

**1. प्र0 नि0 अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।**

**2. हे0का0 विहंगल यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।**

**3. का0 ऋषभ शुक्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।**

### थाना जहानागंज

### चुनाव आचार संहिता के दौरान वोटरो को प्रभावित करने के लिये मीट पार्टी देना पडा महंगा पूर्व प्रधान व उसके भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर हुई गिरफ्तारी

त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दृष्टिगत चुनाव आचार संहिता व जनपद मे धारा 144 सीआरपीसी लागू की गयी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक व उच्चाधिकारीगणो द्वारा चुनाव आचार संहिता एवं कोविड-19 के नियमो का शत प्रतिशत पालन कराने तथा भय मुक्त व प्रलोभन मुक्त चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के निर्देश के क्रम में प्र0नि0 द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण व अपराधियो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम मे प्र0नि0 मय पुलिस फोर्स के थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबीर ने सूचना दी कि ग्राम गोधौरा में पूर्व प्रधान राकेश राय उर्फ बबलू राय अपने पोखरा पर स्थित ट्यूबेल पर अपने गोल के प्रत्याशी प्रधान के पक्ष में गांव के लोगो को इकट्ठा कर मीट पार्टी दे रहा है और उन्हें अपने गोल के प्रत्याशी प्रधान के पक्ष में वोट डालने के लिये लोभ लालच व प्रलोभन दे रहा है। इस सूचना पर प्र0नि0 मय फोर्स मय मुखबिर के गोधौरा से कोईलारी जाने वाली पक्की सड़क पर स्थित पोखरे के पास स्थित ट्यूबेल के पास पहुंचा तो वहां काफी लोग बिना मास्क लगाये कोविड-19 की गाईड लाइन का उल्लंघन करते हुए पास पास बैठे थे और एक बड़े भगौने में चुल्हे पर मीट बन रहा था। वहां पर दो व्यक्ति अपने प्रत्याशी के लिये वोट देने की बात कह रहे थे और यह भी कह रहे थे कि आप को जितनी भी दावत खानी हो खा लिजिये पर वोट हमारे गोल के प्रधान पद के प्रत्याशी को ही दीजियेगा। पुलिस वालो को देखकर बाकी लोग भाग गये। वहा मौजूद दो व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम क्रमशः राकेश राय उर्फ बबलू राय (पूर्व ग्राम प्रधान) व योगेश राय पुत्रगण शिवकुमार राय ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर बन रहे मीट को नष्ट कर बर्तन व औजार कब्जे पुलिस में लिये गये। इस संबन्ध में थाना हाजा पर लिखित तहरीर देकर प्र0नि0 द्वारा मु0अ0सं0 61/2021 धारा 188/269/171 F भादवि बनाम राकेश राय उर्फ बबलू राय (पूर्व ग्राम प्रधान) व योगेश राय पुत्रगण शिवकुमार राय ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया। विरोध प्रकट करने पर राकेश उर्फ बबलू राय व योगेश राय उपरोक्त को बाद में हिरासत पुलिस लिया गया। पुलिस की इस कार्यवाही से चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगो के मध्य भय का माहौल वजनता में पुनः पुलिस के प्रति विश्वास कायम हुआ।

**पूछताछ विवरण:-** पूछ-ताछ के दौरान अभियुक्त राकेश राय उर्फ बबलू राय (पूर्व ग्राम प्रधान) व योगेश राय पुत्रगण शिवकुमार राय ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व कार्यकाल में ही प्रधान था। इस बार भी हमारी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी थी परन्तु सीट अनुसूचित वर्ग में सुरक्षित हो जाने के कारण लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिये एक अनुसूचित वर्ग के प्रधान प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। गांव के वोटरो को उसके पक्ष में वोट देने व प्रभावित करने के लिये यह पार्टी दिये थे हमे नहीं मालूम था कि आप लोगो को इसकी सूचना हो जायेगी। गलती हो गयी दुबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

**पंजीकृत अभियोग:-**

1- मु0अ0सं0 61/2021 धारा 188/269/171F भादवि थाना-जहानागंज, आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1- राकेश राय उर्फ बबलू राय (पूर्व ग्राम प्रधान) पुत्र शिवकुमार राय

2-योगेश राय पुत्र शिवकुमार राय ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1.प्र0नि0 संदीप यादव मय हमराह थाना जहानागंज, आजमगढ़ ।

### थाना-रौनापार

### अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 03.04.2021 को थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि भदौरा चौराहे के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की के दौरान उसके पास से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामदद किया

गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम राहुल यादव पुत्र मुसाफिर यादव सा0 चक्की हाजीपुर (देवारा खास राजा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 56/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### थाना-निजामाबाद

#### अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 03.04.21 को उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/रात्रिगस्त में मामूर थे कि अल्लीपुर बाजार में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिला जिसे रोककर पूछताछ करते हुए नाम पूछा गया तो महेन्द्र यादव पुत्र रामअवध यादव सा0 सेमरा थाना निजामाबाद आजमगढ़ व जमा तलाशी लिया गया तो उसके पास से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस वरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

### थाना कन्धरापुर

धारा 82 CRPC की तामीला अभियुक्त प्रिन्स उर्फ राजकुमार पुत्र गनेश यादव ग्राम दुल्लहपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 171/2020 धारा 363/366/368/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट. व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध SC/ST Act, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

दि0 03.04.21 को कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 171/2020 धारा 363/366/368/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट. व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध SC/ST Act, से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रिन्स उर्फ राजकुमार पुत्र गनेश यादव ग्राम दुल्लहपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के घर पर दविश दी गयी बादस्तूर फरार है। मा0 न्यायालय के आदेश धारा 82 CRPC के प्रासेस को नियमानुसार मुनादी करके अभियुक्त के माँ आशा देवी एवं समक्ष गवाह हरीश्याम यादव पुत्र भुलई यादव, चन्द्रधारी यादव पुत्र नेपाल यादव निवासीगण दुल्लहपार थाना कन्धरापुर आजमगढ़ के समक्ष तामील कराया गया।

### थाना-देवगाँव

#### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध एव अपराधियों के विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में देवगाँव पुलिस को मिली सफलता ---

दिनांक 03.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक देवगाँव के नेतृत्व में उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना देवगाँव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद है। अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह के साथ ग्राम कपसेठा पहुंचा तो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद मिले जिनको समय 14.10 बजे कारण गिरफ्तारी बता कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जा रहा है। मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम है।

**अभियोग पंजीकृत**—मु0अ0सं0 54/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4डीपी एक्ट

**गिरफ्तारी का स्थान**— ग्राम कपसेठा, दिनांक 02.04.2021, समय 14.10 बजे

**गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता**---

- (1) शिवनाथ यादव पुत्र मारकण्डे यादव (ससुर), नि0गण कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (2) सुभवता देवी पत्नी शिवनाथ यादव (सास) नि0गण कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम** —

उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

हे0का0 निहाल सिंह पटेल थाना देवगाँव आजमगढ़

म0आ0 आरती शुक्ला थाना देवगाँव आजमगढ़